नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)
पो.आ. सिंगरौली कोयलरी
जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश) 486 889
फोन : 07805.266607 / 256203 / 256667
फैक्स : 07805.267051

Northern Coalfields Limited
(A Subsidiary of Coal India Limited)
PO. Singrauli Colliery
Dist. Sidhi (M.P.) 486 889
Phone : 07805-266607/256203/256667
FAX : 07805-267051

AUTHORISATION

Shri Manoj Kumar Prasad, General Manager, Dudhichua Project is hereby authorised to submit online forest application on behalf of Northern Coalfields Limited for the requirement of diversion of forest land in the project wherever required. Details of Shri Manoj Kumar Prasad is given below:-

Name :- Shri Manoj Kumar Prasad

Designation: General Manager

Place of Posting: Dudhichua Extn Project, NCL Singrauli

Address: O/o the General Manager

Dudhichua Project, Post: Khadia

Dist: Sonebhadra (UP)-231222

Phone No.05446-232204

Mobile No. 9406711002

email id:- gmdch@ncl.gov.in

27/06/16

(J.L. Singh)

Director(T/P&P)

NCL, Singrauli

भाग - 1

(प्रोयक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण
1. अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / स्कीम का विवरण	**परिचय** दुधिचुआ परियोजना मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले मे स्थित है। एनसीएल के परियोजना मे दुधिचुआ परियोजन के एक्सटेनसन को 11 वी प्लान पीरियड के कोयले के मांग को पुरा करने के लिया चिन्हित किया गया है। इस लिए दुधिचुआ परियोजना का एक्सटेनसन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है। जिसमे की दुधिचुआ ब्लॉक एक्सटेनसन - 2 के रिजेर्व को चिन्हित किया गया था। दुधिचुआ ब्लॉक एक्सटेनसन - 2 का जिओलाजिकल रिपोर्ट सी एम डी आई एल रांची द्वारा मार्च 2002 मे बनाया गया है जिसमे की खनन योग्य कोयला भंडार (01.04.2008 के मुताबिक) 291.3 एम टी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से कील क्षेत्रफल 23.15 वर्ग किलोमीटर है। कोयले का उत्खनन खुली खदान के रूप मे किया जाएगा तथा उ प्र एवं म प्र के विभिन्न थर्मल पावर प्लांट हेतु प्रदान किया जाएगा । अत: सिंगरौली जि के दुधिचुआ वन क्षेत्र के 467.809 (443 हे अधिसूचना व 24.809 हे राजस्व वन भूमि) हे वन भूमि की आवश्यकत है यह क्षेत्र दुधिचुआ आरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 261 और 262 मे स्थित है। उक्त कथित वन भूमि जिसके नी कोयले का भंडार है को नक्शे मे दर्शाकर चिन्हित किया गया है। चिन्हित वन भूमि के नीचे के कोयले को निकालने के लिए दुधिचुआ परियोजना के विस्तार प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित कोयले के उत्पादन से ताप बिजली घरो मे 18-20 एम वी की वार्षिक मांग को किया जायगा । अत: क्षेत्र एवं राष्ट्र की मांग को पुरा करने हेतु इन कोयले खदानों का स्थापित किया जाना नित आवश्यकता है। क्षेत्र का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

M. K. Prasad
General Manager
Dudhichua Project
Khadia, Sonebhadra (U P)

जिले का नाम	वन मण्डल का नाम	कोल ब्लॉक	आरक्षित/ संरक्षित वन मण्डल का नाम	कक्ष क्रमांक	कक्षवार आवेदित क्षेत्रफल	आवेदित वन क्षेत्र
सिंगरौली	सिंगरौली	दुधिचुआ ब्लॉक एक्सटेनसन–2	संरक्षित दुधिचुआ	261	222.039 हे (दुधिचुआ)	443 हे
					34.707 हे (मेदौली)	
				262	147.448 हे (करूआरी)	
					29.572 हे (पंजरेह)	
					9.234 हे चटका)	
कुल आवेदित अधिसूचित वन भूमि (हे. मे)					443.00	

(ब) राजस्व वन भुमि/राजस्व भूमि जिस पर अभिलेख जंगल दर्ज है:–

अनु.	जिले का नाम	वन मंडल	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा कमॉक का नाम
1	2	3	4	5	6
1	सिंगरौली	सिंगरौली (सामन्य)	सिंगरौली	मठौली	404/1 - 12.08 (राजस्व)
2					410/1 - 3.333 (राजस्व)
3					411/1 - 4.046 (राजस्व)
4					412/1 -1.821 (राजस्व)
5				पंजरेह	193/2 - 2.195 (राजस्व)
6					172 - 1.000 (राजस्व)
7					188/4 - 0.334 (राजस्व)
कुल आवेदित राजस्व वन भूमि (हे. मे)					24.809 (राजस्व)
कुल आवेदित वन क्षेत्र 443.00 हे. कुल आवेदित राजस्व वन भूमि 24.809 हे = 467.809 हे					

M. K. Prasad
General Manager
Dudhichua Project
Khadia, Sonebhadra (U P)

(अ) मेहरौली वेस्ट (डीप साइड) ब्लॉक कोयला क्षेत्र - वन क्षेत्र के अतिरिक्त राजस्व भूमि का अर्जन अन्य वांछित भूमि के साथ सी बी एक्ट 1957 के अंतर्गत किया जा रहा है।

आवेदक विभाग भारत सरकार / राजस्व सरकार द्वारा जो शर्ते निर्धारित करेगा । मान्य करने हेतु वचनबध है। इस आशय का वचन पत्र संलगन है। (अनुलंग्न पृस्ट क्रमांक --------)

अनु.	जिले का नाम	वन मंडल	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा कमॉक का नाम	क्षेत्रफल हेक्टर
1	सिंगरौली	सिंगरौली (सामन्य)	सिंगरौली	दुधिचुआ मठौली करुआरी पंजरेह चटका	05	222.039 34.707 147.448 29.572 9.234
					योग	443.00

आवेदित क्षेत्र के विरुद्ध समतुल्य गैर वनभूमि सिंगरौली जिले मे उपलब्ध नहीं है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक म प्र भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 11/30/10-11/20160 दिनांक 27.09.2006 के प्रावधानो के अंतर्गत सिंगरौली जिले के वन क्षेत्र के दुगने क्षेत्र मे वैकल्पिक रोपण प्रतवित किया जायेगा।

आवेदिते वन क्षेत्र का सयुंक्त रूप से वनमंडलाधिकारी, पूर्व सीधी के दिनांक23.02.2011 को निरीक्षण किया गया था। निरिक्षण मे पाया गया की आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र संलगन है। (अनुलंग्न पृस्ट क्रमांक ------)

M. K. Prasad
General Manager
Dudhichua Project
Khadia, Sonebhadra (U P)

	1: 50,000 एवं 1:15,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के सीमाओ को दर्शाने वाला मैप	**11**	1. 1:15000 अ. टोपोशिट नं. 63/L12/C1 आईटी, भेपाल, **MPFD** द्वारा प्रदय ब. टोपोशिट नं. 63/L12/C2 आईटी, भेपाल, **MPFD** द्वारा प्रदय 2. 1:50000 टोपोशिट नं. 63/L/12 आईटी, भेपाल, **MPFD** द्वारा प्रदय 3. 1:50000 सर्वे ऑफ इडिया का 1. टोपोशिट नं **G44W12** 2. टोपोशिट न **G44W16** 4. 16 इंच = 1 मील, पटवारी राजस्व प्लान 5. **Total Station and GPS instrument** से सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्र **(Soft and Hard copy)** (अनुलंग्न पृस्ट क्रमांक --------)
3	परियोजना की लागत	111	दुधिचुआ ब्लॉक विस्तार - 2 कोयला खदान मे कार्य करने मे कुल 329.57 करोड़ रू की लागत आएगी एवं इसकी स्वीकृत भारत सरकार **(Ministry of Coal)** के पत्र क्रमांक **NCL/Board/08(131)/08-09/550 dt 01.08.2008** द्वारा प्राप्त हुई है। जिसकी छाया प्रति संलगन है। (अनुलंग्न पृस्ट क्रमांक --------)
	वन क्षेत्र में परियोजना		वन क्षेत्र कोयला धारक है। परियोजना का प्रयास यह है कि कम से कम वन क्षेत्र कस उपयोग किया जाय। दुधीचुआ विस्तार ब्लाक हेतु भूमि उपयोग का उद्देश्य तकनीकी रूप से निम्न प्रकार परिभा[illegible] किया जा सकता है:– 1. कोयला खनन हेतु वन क्षेत्र की आवश्यकता खुले खदान का मुख्य कार्य है गहराई में जमा हुए कोयले की परत को निकालना। अत्यधिक गहराई मे ज[illegible]

M. K. Prasad
General Manager
Dudhichua Project
Khadia, Sonebhadra (U P)

			जाता है तब खदान की गहराई से अधिभार (over burdn – OB) तथा कोयले को सुव्यवस्थित क्रम में निकालने कि प्रकिया सीढीनुमा बन्धो मे की जाति है। यह प्रकिया तब तक जारी रहती है जब तक कि सब निचे स्थान पर कोयले की आखिरी परत तक कोयला खनन पूर्ण नही कर लि जाती है। यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक खनन योग्य कुल कोयला रिजर्व खदान की आखरी बाउन्ड्री तक प्राप्त नही हो जा है। 2) **खदान सुरक्षा बैरियर / क्षेत्र हेतु वन भूमियॉ** लीज होल्ड एरिया तक का कोयला लेने के लिये अधिभार (over burdn – OB) की आखरी सीमा (ज तक कोयला उत्खनन होना है) से आगे तक यानि अधिभार (over burdn – OB) की आखिरी सीमा तक खनन किया जाता है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता होती है जो खनन सुरक्षा बैरियर/क्षेत्र (Safety Barrier) कहलाता है। यह क्षेत्र अधिभार (over burdn – OB) की आखिरी सीम से 300 मीटर की दूरी तक होता है। इस क्षेत्र मे किसी भी प्रकार का खनन गतिविधि नही होता है तथा ख के बिस्फोटक के आस–पास के आम जन–जीवन भी प्रभवीत नही होते है। वर्तमान में 194 है. वन भूमि प्रत्यावर्तित की जा चुकि तथा दुधीचुआ परियोजना के कब्जे में है उसी कोयले खनन का कार्य चल रहा है किन्तु 2016–17 और उसके बाद के वर्षों के लिये वन भूमियॉ जो इस प्रस्ताव साथ आवेदित है एवं अभि तक प्रत्यावर्तित नही है, कि दुधीचुआ परियोजना को कोयला खनन हेतु है। दुधीचुआ विस्तार परियोजना का कुल कोयला रिजर्व 215 MT तब तक पूर्ण रूप से उत्खनन नही हो सकता है जब तक इस प्रस्ताव में आवेदित कुल वन क्षेत्र का प्रत्यवर्तन नही हो जाता है। वर्तमान स्थिति खदान के कुल चौडाई **तुर्रा सीम का 1360 मीटर मे सिर्फ 1165 मीटर** तक ही कोयला खनन का क **2016-17** एवं उसके उपरान्त किया जा सकता है। एन.टी.पी.सी मे विधुत उत्पादन हेतु कोयले की मागॅ का पूरा किये जाने हेतु दुधीचुआ परियोजना का राष्ट्र हित में विस्तार किया जाना आवश्यक है।
iv	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिये)	**iv**	परियोजना के निर्माण से 71800.01 करोड का लाभ है एवं इस निर्माण पर **326.57 करोड़** की लागत आयेगी । का विश्लेपण करने पर परियोजना निर्माण लाभकारी है इस संबधं मे विस्तृत लागत लाभ विश्लेपण **संलग्न है ।** अनुलंग्न पृस्ट क्रमांक --------)
v	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	**v**	1. **स्थाई नौकरी**:– 20 व्यक्तियो को स्थाई नौकरी प्रदान कि गई है 2 **अस्थाई नौकरी**:– लगभग 350 व्यक्तियो को विभिन्न खदान के कार्य जैसे अधिभार (Overburden- OB) ह हेतु न्जेवनतबपदह के कार्य मे नौकरी दी गई है। इस प्रकार कुल रूप से आसपास के क्षेत्रो मे समाजिक एवं आर्थिक स्तर मे सुधार हुआ है। खनन गतिविधियो से यह रह रहे व्यक्तियो के समाजिक एवं आर्थिक सिथति मे परिवर्तन हुआ है और अनके आय का साधन बना हुआ है। इ प्रकार लगातार परियोजना के खनन कार्यो से रोजगार के अवसर,संचार माध्यम,चिकित्सा की सुविधा एचं बच्चों कं स इत्यादि चीजों में बहुतयात मात्रा में सुधार हुआ है इनके सुविधाओं में आगे और भी और भी अनवरत् सुधार किया ज रहेगा।

M. K. Prasad
General Manager
Dudhichua Project
Khadia, Sonebhadra (U P)

- सिंगरौली जिले के पूर्व वन मण्डल मे विध्युत उत्पादन हेतु दुधिचुआ ब्लॉक एक्स्टेंशन - 2 कोयले क्षेत्र की 523.722 हे भूमि की आवश्यकता है। कुल आवेदित वन क्षेत्र 467.809 हे है।

अ	ब	स	द (बस)	ई	एफ (दई)
खदान सुरक्षा बैरियर/क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित जो शामिल है 1. अन्स निर्माण जैसे सब स्टेशन, आउटसोर्सिगं कैम्प वगैरह . 10 हे भुमि मे 2. वन सुरक्षा क्षेत्र– हेक्टेयर	443	24.809	467.809	55.913	523.722
कोयला खनन क्षेत्र जिसमें ढ्ढमतइनतकमद ;व्ठद्ध के आगे कि बेन्चेज भी शमिल है					
कुल	443	24.809	467.809	55.913	523.722
कुल आवेदित वन क्षेत्र	467.809 हे				

M. K. Prasad
General Manager
Dudhichua Project
Khadia, Sonebhadra (U P)

1	परिवारों की संख्या		580 (326 लोग मकान से और 212 लोग जमीन से व मकान और जमीन दोनो से 42 से लोग प्रभावीत है)
11	अनु. जाति / अनु जन जाति परिवारो कि संख्या		196 परिवार में से 51 (13 लोग मकान से और 37 लोग जमीन से व मकान और जमीन दोनो से 01 से लोग प्रभावीत है) अनु जाति व 145 (82 लोग मकान से और 63 लोग जमीन से लोग प्रभावीत है) अनु जनजाति है।
111	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिये)		संलग्न (अनुलंग्न पृस्ट क्रमांक --------)
4	क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यकता है (हा या नहीं)		हा ,पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मुजूरी आवश्यक है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रांलय, नई दिल्ली के पत्र कमांक J-11015/381/2008-1A.II(M) DT 10.02.2008 से पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। (अनुलंग्न पृस्ट क्रमांक --------)
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और यथा दंडस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत के साथ सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत		वांछित वचन बाध्यता संलग्न है। (अनुलंग्न पृस्ट क्रमांक --------)

M. K. Prasad
General Manager
Dudhichua Project
Khadia, Sonebhadra (U P)

क्रमांक	अनुलग्न के विवरण	आवेदन पत्र पेज क्रमांक
1	परियोजना स्कीम / प्रतिवेदन की प्रति	
2	1: 50000 स्केल मैप पर वांछित वन भूमि	
3	1: 15000 स्केल मैप पर वांछित वन भूमि	
4	16" = 1 मिल मैप पर वांछित वन भूमि	
5	वांछित वन भूमि के अधिगरण के संबद्ध मे अधिसूचना संख्या दिनांक की छायाप्रती	
6	लागत लाभ विश्लेषण	
7	वन भूमि के एवज मे प्रतिपूरक वनीकरण एवं अनुरक्ष्ण आदि मे होने वाले वय्य के वाहन परियोजना करेंगी के संबंध मे वचन पत्र	
8	भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली समस्त , शर्तो को मान्य करने संबंधी एवं विस्थिपतों को बसाने हेतु अलग से वन भूमि की मांग नहीं की जाएगी के आशय का प्रमाण पत्र	
9	प्रतिपूरक वनीकरण आदि की संरक्षक लागत एवं सुरक्षा के पुनर्वनिकरण पर होने वाले व्यय के वाहन की वचन बद्धता प्रमाण पत्र मुख्य महाप्रबधक स्तर से	
10	वांछित वन भूमि मे कोयले उत्खनन हेतु **NCL Board** द्वारा जारी किया गया पत्र	

5/5/15

महाप्रबंधक

दुधिचुआ परियोजना

M. K. Prasad
General Manager
Dudhichua Project
Khadia, Sonebhadra (U P)